

पंचायती राज मंत्रालय

मांग संख्या 72

पंचायती राज मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	864.83	...	864.83	868.57	...	868.57	905.77	...	905.77	993.27	23.15	1016.42
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>864.83</b>	...	<b>864.83</b>	<b>868.57</b>	...	<b>868.57</b>	<b>905.77</b>	...	<b>905.77</b>	<b>993.27</b>	<b>23.15</b>	<b>1016.42</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	34.43	...	34.43	42.37	...	42.37	38.77	...	38.77	44.31	1.11	45.42
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>कार्य अनुसंधान और प्रचार</b>												
2. कार्य अनुसंधान	...	...	...	3.00	...	3.00	...	...	...	...	...	...
3. अंतर्राष्ट्रीय अंशदान	...	...	...	0.20	...	0.20	...	...	...	...	...	...
4. मीडिया एवं प्रचार	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-कार्य अनुसंधान और प्रचार</b>												
5. स्वामित्व	139.99	...	139.99	150.00	...	150.00	105.00	...	105.00	55.46	20.54	76.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>139.99</b>	...	<b>139.99</b>	<b>163.20</b>	...	<b>163.20</b>	<b>105.00</b>	...	<b>105.00</b>	<b>55.46</b>	<b>20.54</b>	<b>76.00</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)</b>												
6. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	690.41	...	690.41	593.00	...	593.00	762.00	...	762.00	893.50	1.50	895.00
7. पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	...	...	...	50.00	...	50.00	...	...	...	...	...	...
8. ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना	...	...	...	20.00	...	20.00	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)</b>												
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>690.41</b>	...	<b>690.41</b>	<b>663.00</b>	...	<b>663.00</b>	<b>762.00</b>	...	<b>762.00</b>	<b>893.50</b>	<b>1.50</b>	<b>895.00</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2021-2022			बजट 2022-2023			संशोधित 2022-2023			बजट 2023-2024		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल जोड़</b>	<b>864.83</b>	...	<b>864.83</b>	<b>868.57</b>	...	<b>868.57</b>	<b>905.77</b>	...	<b>905.77</b>	<b>993.27</b>	<b>23.15</b>	<b>1016.42</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
1. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	217.23	...	217.23	255.40	...	255.40	193.62	...	193.62	156.96	...	156.96
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	34.43	...	34.43	42.37	...	42.37	38.77	...	38.77	44.31	...	44.31
3. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	22.04	22.04
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.11	1.11
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>251.66</b>	...	<b>251.66</b>	<b>297.77</b>	...	<b>297.77</b>	<b>232.39</b>	...	<b>232.39</b>	<b>201.27</b>	<b>23.15</b>	<b>224.42</b>
<b>अन्य</b>												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	82.62	...	82.62	86.70	...	86.70	97.10	...	97.10
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	573.17	...	573.17	448.18	...	448.18	546.68	...	546.68	654.90	...	654.90
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>613.17</b>	...	<b>613.17</b>	<b>570.80</b>	...	<b>570.80</b>	<b>673.38</b>	...	<b>673.38</b>	<b>792.00</b>	...	<b>792.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>864.83</b>	...	<b>864.83</b>	<b>868.57</b>	...	<b>868.57</b>	<b>905.77</b>	...	<b>905.77</b>	<b>993.27</b>	<b>23.15</b>	<b>1016.42</b>

1. **सचिवालय:** ये प्रावधान पंचायती राज मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

5. **स्वामित्व:** स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण) 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आवादी क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। यह क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रिकरण को सक्षम बनाता है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों से लागू की जा रही है। राज्यों को योजना के कार्यान्वयन के लिए एसओआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।

6. **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान:** 01.04.2022 से 31.03.2026 (XV वित्त आयोग की अवधि के साथ सह-टर्मिनस) के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 13.04.2022 को 5911 करोड़ रुपये की कुल लागत पर अनुमोदित आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र का हिस्सा 3700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपये है। संशोधित आरजीएसए गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थानों सहित देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित है, जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। इस योजना में केंद्रीय और राज्य दोनों घटक शामिल हैं। योजना का केंद्रीय घटक पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। हालांकि, पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 है, राज्यों के घटकों के लिए फंडिंग पैटर्न क्रमशः केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में है। अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिए, केंद्रीय हिस्सा 100% है। आरजीएसए की संशोधित योजना का फोकस पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन और आर्थिक विकास के सक्रिय/वाइब्रेंट केंद्रों के रूप में फिर से विचार करने पर होगा, जिसमें ठोस और सहयोगात्मक माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए सभी स्तरों पर संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य लाइन विभागों के प्रयास से जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आरजीएसए की संशोधित योजना के केंद्रीय घटक है (i) ई- पंचायत पर मिशन मोड परियोजना (ii) पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (iii) एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी/कार्य अनुसंधान एवं प्रचार और (iv) अंतरराष्ट्रीय सहयोग।